

बकायादारों ने संपत्तिकर की राशि 287145 रुपये निगम कोष में जमा किए

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 02 वैशालीनगर अंतर्गत भवन/भूमियों का बकाया संपत्तिकर वसूली की कार्यवाही लगातार जारी है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे एवं राजस्व टीम कुर्की की कार्यवाही हेतु पहुंचे। बकायादारों से संपर्क कर बकाया संपत्तिकर राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्यवाही के संबंध में समझाए। इससे पूर्व इन बकायादारों को बकाया राशि जमा करने नोटिस भी दिया गया है। कुर्की की कार्यवाही से बचने बकायादार अपने बकाया संपत्तिकर राशि जमा किए हैं। बकायादार देवकी शुक्ला स्टील नगर 50518.00 रुपये, के बप्पा नईया 19000.00 रुपये, शशि माखा सुन्दर नगर 42625.00 रुपये, जगजीत सिंह बग्गा 20899.00 रुपये, नितेश कुमार साहू 27117.00 रुपये, राम निवास 52047.00 रुपये एवं राजकुमार जायसवाल 74139.00 रुपये इस प्रकार कुल 287145.00 रुपये चेक के माध्यम से जमा किए हैं। जिनका भी संपत्तिकर बकाया है, जल्द ही निगम कोष में जमा कर दें, अविलम्ब की स्थिति में कुर्की की कार्यवाही कर राशि वसूल किया जाएगा। संपत्तिकर बकायादारों की सूची तैयार कर ली गई है, सभी जोन में कार्यवाही जारी है। विषम परिस्थिति होने से पूर्व संपत्तिकर की बकाया राशि निगम में आकर जमा कर दें।

